प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/26	पक्ष० अनु०। बहस हेतु पत्रावली ~~दि०~~ दिनांक: 5/3/26 को पेश हो।	
5/3/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली माकिक कार्यवाही हेतु दिनांक 12/3/26 को पेश हो	
12/3/26	पक्षकारान उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 25/3/26 को पेश हो।	
25/3/26	पक्ष० उप०। निर्णय नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 30/3/26 को पेश हो।	
30/3/26	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वादी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेज एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहने से खारिज किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
2/दावा/2009(74/92)	23.04.1992	30.3.2026

श्री बदरीलाल आयु 24 वर्ष दत्तक पुत्र श्री लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील बून्दी, जिला बून्दी राज0

वादी

बनाम

1. श्रीमति सोहनी आयु 38 वर्ष विधवा लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी।
2. श्रीमति चाहन्या पत्नि श्री छेटू जाति मीणा निवासी तीरथ तह0 व जिला बून्दी बहैसियत स्वयं एवं कायम मुकामान प्रतिवादी सं0 3
3. छेटू आयु 45 वर्ष आ0 श्री शंकर जी जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील व जिला बून्दी। के कायम मुकामान प्रतिवादी सं0 2 एवं प्रतिवादी सं0 4
   3/1 बनवारी आयु 34 वर्ष आ0 श्री छेटू जी जाति मीणा निवासी तीरथ तह0 तालेडा
4. सत्यनारायण आ0 श्री छेटूलाल जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील व जिला बून्दी राज0 बहैसियत स्वयं एवं कायम मुकामान प्रतिवादी सं0 3
5. सब रजिस्ट्रार महोदय तहसील तालेड़ा।
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब बून्दी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीगण :- श्री रमेश चन्द जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी :- श्री रामदत्त शर्मा

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी. एक्ट

वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 एक्ट आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिशिष्ट 'अ' में वर्णित कृषि भूमि ग्राम तीरथ तहसील बून्दी, जिला बून्दी में स्थित है। इस कृषि भूमि का खातेदार कृषक श्री लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण आ0 श्री रतना जी जाति मीणा निवासी तीरथ थे। लंगूर का देहान्त लगभग 7 वर्ष पूर्व हो चुका है। श्री लंगूर जी की पत्नि श्रीमति ज्याना बाई थी, जिनका देहान्त श्री लंगूर जी के जन्म काल में ही हो गया था। ज्यानाबाई के देहान्त के पश्चात श्री लंगूर जी ने प्रतिवादी श्रीमति सोहनी से विवाह किया था, सोहनी बाई, श्रीमति ज्यानाबाई की ठेर पर पत्नि बनकर आई थी। श्री लंगूर जी अपने देहान्त के 4 साल पूर्व से क्षय रोग से पीड़ित हो गये थे, उनके संतान होनें की कोई आशा नही रही थी। इस कारण अपनी वंशावली कायम रखनें के उद्देश्य से श्री लंगूर जी ने व सोहनी ने जाति के रीति रिवाज के अनुसार वादी बदरीलाल को गोद ले लिया था, तब से वादी लंगूर जी का गोद पुत्र है, वादी के पिता धन्नालाल जी व माता ने वादी को लंगूर जी के गोद रखा दिया था, तब से वादी लंगूर जी की सम्पत्ति व कृषि भूमि जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" में दिया है, काबिज चला आ रहा है। वादी की माता श्रीमति सोहनी भी वादी के साथ रह रही थी, श्री लंगूर जी के देहान्त के समय वादी अवयस्क था, इस कारण वादी का नाम खाते में अंकित नही हो सका और सोहनी बाई ने ही ज्याना बाई के नाम से वादी के संरक्षक के नाते अपना नाम खाते में अंकित करवा लिया, जिसकी जानकारी अभी वादी को हुई है। श्री लंगूर जी का गोद पुत्र होनें के कारण वादी ही परिशिष्ट "अ" में वर्णित सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी है, और वर्तमान खातेदार है। श्रीमति सोहनीबाई को उक्त सम्पत्ति में कोई हक प्राप्त नही है, वह केवल भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिनी है। राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में अंकित नही होनें और प्रतिवादी सोहनी का नाम ज्यानाबाई के नाम से रिकार्ड में अंकित होनें का अनुचित लाभ उठाकर श्रीमति सोहनी परिशिष्ट अ में वर्णित समस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 2-3-4 को बैचान कर रही है। यद्यपि सोहनी बाई को बेचान करने का कोई अधिकार नही है। सोहनी बाई का नाम ज्याना बाई के नाम से राजस्व रेकार्ड

अंकित होने से वादी के हको पर आक्षेप पहुचता है, वादी परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि का स्वयं ही खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। वादी परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है। यदि भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 2-3-4 के पक्ष में कर दिया गया तो वादी के हकों पर आक्षेप पहुचेगा, मुकदमें बाजी बढ जावेगी, प्रतिवादीगण भूमि पर बल पूर्वक कब्जा करने की चेष्टा करेंगे, जिससे भूमि की पहत रह जाने की पूरी आशंका है। यदि वादी को बल पूर्वक भूमि से बेदखल कर दिया तो वादी को भारी क्षति पहुचेगा। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार भी संभव नही हो सकेगी। उपरोक्त स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1-2-4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 2-3-4 के पक्ष में नही करे व प्रतिवादीगण संख्या 2-3-4 उक्त भूमि को नही खरीदे तथा सब रजिस्ट्रार महोदय को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे इस संबंध के किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन नहीं करें। वादी प्रतिवादी संख्या 2-3-4 को इस आशय की निषेधाज्ञा से भी पाबंद कराने का अधिकारी है कि वे परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि पर या इसके किसी भाग पर बल पूर्वक कब्जा नही करे।, वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नही करे। वादी को बेदखल नही करे। उपरोक्त कार्य अन्य व्यक्तियों से भी नहीं करावे। यदि दोराने मुकदमा कोई बैचान नामा निष्पादित कर भी दिया गया तो उक्त विक्रय पत्र वादी के हकों के विरूद्ध प्रभाव शुन्य है, और उससे वादी के हित प्रभावित नही होते। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे। परिशिष्ट "अ" में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कृषक होना वादी को घोषित किया जावे, राजस्व रेकार्ड में वादी को उक्त कृषि भूमि का खातेदार अंकित किया जावे तथा खाते से श्रीमति ज्याना का नाम विलोपित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि परिशिष्ट "अ" में वर्णित कृषि भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 2-3-4 के पक्ष में नही करे, तथा प्रतिवादी संख्या 2-3-4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद नही करे, तथा प्रतिवादी संख्या 5 को पाबंद फरमाया जावे कि इस संबंध में किये हुए बैचान नामें का पंजीयन नही करें। प्रतिवादी संख्या 2-3-4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि परिशिष्ट "अ" में वर्णित कृषि भूमि पर या इसके किसी भाग पर बल पूर्वक कब्जा नही करे। वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नही करे, भूमि पर या इसके किसी भाग पर अतिक्रमण नही करे, तथा उपरोक्त कार्य अपनें कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों से भी नही करावे। विकल्प में यह भी निवेदन है कि मुकदमें के दौरान उक्त कृषि भूमि या उसके किसी भाग पर प्रतिवादीगण कब्जा कर लें तो उन्हे बेदखल किया जाकर पुनः वादी को कब्जा दिलाया जावे।

परिशिष्ठ 'अ' का विवरण निम्नानुसार है -

खसरा सं0 1169/1 रकबा 3 बीघा , ख0सं0 1263 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0सं0 856 रकबा 1 बिस्वा एवं ख0सं0 1821 मिन रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम तीरथ

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की और से निम्न जवाब दावा पेश है। वाद में वर्णित परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि स्वीकार है लेकिन खाते में खातेदार का नाम लंगूर अंकित था खाते में लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण अंकित होना स्वीकार नही है। वैसे लंगूर को गांव में लक्ष्मीनारायण भी कहते थे। विवादित भूमि मृतक लंगूर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी श्रीमति जानकी बाई जिसे सोहनी भी कहते है लेकिन जानकी बाई के नाम से राजस्व खाते में विवादित भूमि दर्ज खाता है। वाद चरण संख्या 2 स्वीकार है। वाद चरण संख्या 3 जिस तरह लिखा अस्वीकार है। मृतक श्री लंगूर के बचपन में ही श्रीमति ज्याना बाई से विवाह हुआ था। जिसके तुरंत बाद ज्याना बाई बाल्यावस्था में ही मर गई जिसके बाद मृतक श्री लंगूर का विवाह बाल्यावस्था में जब वह 7 वर्ष का था तथा श्रीमती जानकी बाई उर्फ सोहनी पुत्री केसरा 3 वर्ष की थी तप्तपदी प्रथा से ग्राम ईसरवगर पंचायत लेसरदा तहसील के0पाटन बून्दी में विवाह हुआ था। वाद चरण संख्या 4 में जेसा मृतक लंगूर का देहांत के 4 वर्ष पूर्व क्षय रोग से बीमार होना लिखा स्वीकार है बाकि समस्त चरण में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। मृत्यु के पूर्व मृतक लंगूर का उदयपुर से जोटोरियम में प्रतिवादी सं0 1 ने इलाज कराकर काफी रूपया व्यय किया था जिनका अचानक देहांत हुआ उस वक्त मृतक की आयु 35 वर्ष तथा प्रतिवादी सं0 1 की आयु 31 वर्ष थी जो संतान पेदा करने के योग्य थे तथा मृतक लंगूर को उसकी मृत्यु होने का कोई पूर्वाभास नही था तथा इस कारण भी प्रतिवादी सं0 1 तथा मृतक लंगूर ने कभी वादी को गोद पुत्र नही रखा। मृतक लंगूर के मूल पुरूष हीरालाल जी थे जिनके दो पुत्र क्रमशः रतना जी तथा शंकर जी पेदा हुऐ तथा रतना जी से एक मात्र पुत्र प्रतिवादी सं0 1 का पति श्री लंगूर पेदा हुआ तथा शंकर जी से छेटूलाल जी पेदा हुऐ। जो इस वाद में प्रतिवादी सं0 3 है तथा उपरोक्त छेटूलाल जी प्रतिवादी सं03 के पुत्र प्रतिवादी सं0 4 सत्यनारायण है तथा अन्य और भी है जो निकटतम वंशज है यदि गोद पुत्र लिया जाता तब मृतक श्री लंगूर उसके वंश में से ही गोद

ता। लेकिन मृतक श्री लंगूर की मृत्यु के समय उसे जैसा उपर इस चरण में लिखा है गोद पुत्र लेने की परिस्थितियाँ नही थी। वाद पत्र चरण सख्या 5 असत्य होने से अस्वीकार है। वाद पत्र चरण संख्या 6 अस्वीकार है। वाद चरण संख्या 7 में जेसा लिखा है कि सोहनी का नाम ज्याना बाई रिकार्ड में अंकित होने का प्रतिवादी संख्या 1 अनुचित लाभ उठा रही है यह अभिवचन कतई स्पष्ट नही है। जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 मृतक श्री लंगूर के देहावसान के समय उसकी वैध पत्नी थी यदि उसका नाम जानकी बाई जेसा रिकार्ड में अंकित है उसके बजाय उसका नाम सोहनी भी है तथा जेसा पूर्व में राजस्व रिकार्ड में श्री लंगूर को लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण नही लिखा इसी प्रकार जानकी बाई को जानकी बाई उर्फ सोहनी राजस्व रिकार्ड में नही लिखा तथा जानकी बाई तथा सोहनी पृथक पृथक महिला नही है मृतक श्री लंगूर की मृत्यु के समय प्रतिवादी सं0 1 एक मात्र उसकी जीवित पत्नी थी। तथा मृतक लंगूर की मृत्यु के वाद प्रतिवादी सं01 का जानकी बाई नाम से फोती इन्तकाल खोलकर राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ। तब किस तरह प्रतिवादी सं0 1 अनुचित लाभ उठा रही है यह अभिवचनों में वादी ने स्पष्ट नही लिखा है वादी का यह अभिवचन अस्पष्ट व अधुरा है ज्याना बाई नाम रिकार्ड मे अंकित नही है। प्रतिवादी सं01 एक मात्र विवादित कृषि भूमि की खातेदार तथा काबिज काश्त है जिसने बरसो से प्रतिवादी सं0 3 को जुवारे पर विवादित भूमि काश्त हेतु दे रखी थी। तथा उसके पुत्र प्रतिवादी सं0 4 को प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 22.2.92 को कृषि भूमि विक्रय के इकरार नामें की पालना में स्टाम्प बून्दी ट्रेजरी से लेकर दिनांक 13.4.92 को प्रतिवादी सं04 की माता प्रतिवादी सं0 2 के हक में विक्रय विलेख का निष्पादन कर दिनांक 18.4.92 को उपपंजीयन तालेडा प्रतिवादी संख्या 5 के यहा खं0नं 1821 मि0 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के विक्रय का पंजियन कराया तथा इसके पूर्व लगभग 6 बीघा भूमि ग्यारसीलाल आ0 हरदेव जाति मीणा साकिन तीरथ को प्रतिवादी सं01 भूमि विक्रय कर चुकी है। उपरोक्त अंकित अनुसार किये गये विक्रय करने का प्रतिवादी संख्या 1 को एक मात्र अधिकार हासिल है तथा विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के दर्ज खाता हो चुही है। वाद चरण सं0 8 अस्वीकार है वादी को विवादित भूमि पर उपरोक्त चरणों में अंकित तथ्यों के आधार पर कोई अधिकार हासिल नही है। न ही वादी ऐसी घोषणा कराने का अधिकारी है। अन्य आक्षेप में अंकित किया कि वादी का वाद अस्पष्ट तथा अधूरा है अभिवचन भी विस्तार से नही लिखे है वादी ने प्रतिवादी सं0 1 का गोद पुत्र बताकर वाद पेश किया है जब कि वादी का यह कथन कतई मनगढंत तथा असत्य है वादी ने यह भी नही बताया कि किस रीजि रिवाज के तहत कब किस प्रकार यह गोद की रीजि रिवाज सम्पूर्ण हुऐ तथा वहां पारिवारिक तथा कौन कौन से वंशज उपस्थित थे जबकि मृतक लंगूर के निकटतम वंशज प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 है जिनके विरूद्ध यह वाद वादी ने किया है यदि गोद की गांव में कोई लिखा पढी की थी तब ऐसे अभिवचन भी नही लिखा है यदि ऐसा नही हुआ तब किसी रीजि रिवाज से गोद हुआ का कोई हवाला भी अंकित नही किया है। जबकि वादी ने प्रतिवादी सं0 1 की भूमि हडपने की दुर्भावना से असत्य अभिवचन के आधार पर यह वाद पेश किया जो चलने योग्य नही है। वादी का मुख्य अनुतोष प्रतिवादी सं0 1 को भूमि विक्रय के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष चाहा है प्रतिवादी सं0 1 ने उपरोक्त विक्रय तथा विक्रय पूर्व के करार आदि का समय समय पर वादी को ज्ञान था तथा इनको स्टे कराने का जिलाधीश महोदय बून्दी प्रतिवादी सं0 5 तथा सर्तकता समिति वगैरा को वादी ने आवेदन किऐ थे तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अंतिम विक्रय दिनांक 18.4.92 को भी वादी को ज्ञान था तथा उसने व्यक्तिगत रूप से दिनांक 18.4.92 को प्रतिवादी सं0 5 के यहा उपस्थित होकर विक्रय नही करने की आपत्ति इस आशय से की थी कि प्रतिवादी सं0 1 जानकी बाई नही है तथा खातेदार नही है। जबकि इस वाद में प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार मानकर उसे पक्षकार बनाकर वाद लाया है तथा विक्रय होने के बाद दिनांक 22.4.92 को वाद न्यायालय में पेश किया है। इस प्रकार वादी ने सही अभिवचन छुपाकर गलत तथ्यों पर वाद पेश किया है जो चलने योग्य नही है। प्रतिवादी सं0 5 को राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पक्षकार बनाया है राज्य सरकार जर्ये जिला कलेक्टर पक्षकार है जिसे यही रूप में पक्षकार नही बनाने से इस कानूनी त्रुटि के आधार पर वादी का वाद चलने योग्न नही है। प्रतिवादी सं0 1 ने जैसा प्रतिवाद चरण सं0 7 की अंतिम पंक्तियों में लगभग 6 बीघा भूमि ग्यारसीलाल को विक्रय की है उसके संबंध में कोई अभिकथन वाद में नही लिखा है तथा न ही उसे वाद में पक्षकार बनाया है अतः वादी का वाद नॉन जोइन्डर आफ पार्टीज के बुक्स से चलने योग्य नही है।

1. यह कि वादी को प्रतिवादी सं0 2 चाहन्या बाई के हक में प्रतिवादी सं01 द्वारा विक्रय का पूर्व ज्ञान से ही उसे वाद में पक्षकार बनाया है अन्यथा प्रतिवादी सं0 2 को वाद में पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नही है जबकि वादी ने इस संबंध में वाद में सही सही अभिवचन नहीं लिखे है।
2. यह कि प्रतिवादी सं03 छेदूलाल को वादी ने वाद में गलत पक्षकार बनाया है तथा प्रतिवादी सं04 के हक में प्रतिवादी सं0 1 ने पूर्व में भूमि विक्रय का करार किया तथा बाद में प्रतिवादी सं0 2 जो

तिवादी सं0 4 की माता है के हक मे विक्रय किया इन सब अभिवचनों को वादी ने वाद में नही लिखा। यदि वादी को इन तथ्यों का पूर्व ज्ञान नहीं था तब इनको वाद में गलत पक्षकार बनाया है तथा वादी को इन तथ्यों का ज्ञान था तब वादी ने वाद में सही तथ्य छुपाकर वाद वादी लाया है जो चलने योग्य नही है।

3. यह कि प्रतिवादी सं02 विवादित भूमि ख0नं0 1821 मि0 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा की क्रेता तथा मालिक तथा काबिज काश्त है तथा वादी को विवादित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। तथा ना ही वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई अधिकार घोषणा कराने तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार हासिल है।

4. यह कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि में गैहू फसल काटी है। उसके पूर्व सोयाबीन तथा जो फसल काटी है तथा प्रतिवादीगण ही विवादित भूमि की लगान पिलाई सरकार को अदा करते है। वादी का वाद सक्षम दिवानी न्यायालय से गोद बाबत अधिकार घोषणा कराये बिना चलने व सुनने योग्य नही है। वादी का वाद दुर्भावनाजनित होने से प्रतिवादीगण को वादी से 500 रूपये प्रत्येक को विशेष क्षतिपूर्ति पेटे राशि लेने के अधिकारी है।

प्रकरण में बिम्न तनकीयात कायम की गई -

1. आया परिशिष्ट "अ" में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार कृषक लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी तीरथ थे।

- वादी

2. आया ज्याना बाई की मृत्यु के पश्चात लंगूर जी ने प्रतिवादीनी सोहनी से विवाह कर लिया था तथा लंगूर जी ने अपनी मृत्यु से 4 साल पूर्व जाति के रिवाज के अनुसार वादी को गोद ले लिया था। तभी से वह बहेसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है।

- वादी

3. आया वादी के अवयस्क होने के फलस्वरूप सोहनी बाई ने ही ज्याना बाई के नाम से वादी के संरक्षक के नाते अपना नाम खाते में अंकित करवा लिया।

- वादी

4. आया प्रतिवादी सोहनी विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 2,3,4 को बेचान कर रही है। फलस्वरूप वादी उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार है।

- वादी

5. आया प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी की एक मात्र खातेदार तथा काबिज काश्त है।

- प्रतिवादी

6. आया प्रतिवादी सं0 6 भू0 स्वामी का 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना अथवा स्वीकृति लिये बिना दावा वादी चलने योग्य नही है।

- प्रतिवादी

7. आया वादी का वाद नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के बुक्स से चलने योग्य नहीं है।

- प्रतिवादी

8. आया प्रतिवादीगण वादी से 500/- रू0 विशेष क्षतिपूर्ति पेटे प्राप्त करने के अधिकारी है।

- प्रतिवादी

9. सहायता

वकील वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादी ने शपथ पत्र पेश कर अंकित किया कि लंगूर जी ने मेरे पिताजी से कहकर उनकी सहमती पर उनसे गोद लिया था। गोद नामे के बाबत कोई दस्तावेज होने का कथन अपने बयानों में अंकित नही किया गया। वादी की और से बाबूलाल आ0 जगन्नाथ, भंवर लाल आ0 नन्नू जाति मीणा निवासी मेहराणा, हजारी लाल आ0 नेहनूराम जाति मीणा निवासी मेहराणा, सोहन लाल आ0 रामनारायण जाति मीणा निवासी मेहराणा, बलराम जागा आ0 देवकिशन जाति जागा निवासी कोटा, बद्रीलाल आ0 लंगूर मीणा पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संम्वत् 2044-47 खाता सं0 131 वाके ग्राम तीरथ प्रदर्श-1, परिवार राशन कार्ड बद्रीलाल प्रदर्श-2, परिवार कार्ड के लिये आवेदन फार्म-अ प्रदर्श-3, परिवार राशन कार्ड सं0 668 प्रदर्श-4, परिवार कार्ड प्रदर्श-5 पेश किये। दौराने साक्ष्य जिरह में कहा गया कि बद्रीलाल 10-12 साल का था मेरे सामने गोद लेने की कोई लिखा पडी नही हुयी व गोद की लिखा पडी मे मेरे द्वारा कोई हस्ताक्षर नही किये गये है। गोद का

कार्यक्रम पंचपटेलो के सामने घर पर हुआ था और कहा कि गोद का कार्यक्रम लंगूर जी के मरने के कितने साल पहले हुआ था मुझे याद नही है। यह बात सही है कि लंगूर जी के मरने के बाद दस्तुर घर पर हुआ था। गवाह हजारी लाल ने दौराने जिरह कहा कि दस्तुर के समय गांव के पंचपटेल व समाज के लोग आये थे। गोद की लिखा पढी हुयी थी किन्तु उसमें मेरे हस्ताक्षर नही है। मैने गांव में भी नही सुनी की गोद नामे पर किस किस ने हस्ताक्षर किये। जागा बलराम ने अपने बयानों में गोद के संबंध में स्पष्ट अंकन नही किया कहा की असल जागा की फोती में लंगूर जी के ओर भाई बन्दो के उपस्थित होना नही लिखा है केवल सरपंच का लिखा है। बद्रीलाल ने दोराने जिरह कहा की मै 8 वीं पास हूँ मेरे पिता का नाम धन्नालाल है। 8 वीं में मेरी उम्र 17-18 साल थी। प्रदर्श -3 में मेरा नाम अलग स्याही से लिखा हुआ है। मैने राशनकार्ड का आवेदन करते समय सरपंच को गोद नामे की कॉपी नही बतायी। प्रदर्श-2 राशनकार्ड में गोद पुत्र नही लिखा हुआ है। प्रदर्श-4 में पिता के नाम पर कटींगं हो रही है। मतदाता सूची में मेरे पिता का नाम धन्नालाल लिखा हुआ है। यह बात सही है कि मैने राशनकार्ड लंगूर जी के मरने के बाद ही बनाया है। लंगूर जी के मरने के पहले के राशनकार्ड में मेरे पिता का नाम धन्नालाल ही लिखा हुआ है। प्रदर्श-3 आवेदन पत्र में पंचायत समिति से असली लेकर आया हूँ मैने बकल का कोई आवेदन नही किया। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी तरीके से पेश किये हो। आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम धन्नालाल लिखा हुआ है। धन्नालाल जी और लंगूर जी सगे भाई नही थे। लंगूर जी के दो भाई व 3 बहने थी। मेरे पिताजी व लंगूर जी काका भतीजे थे।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में जानकी बाई उर्फ सोहनी बाई विधवा लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज चाहन्या बाई को बेचान की गयी भूमि की रजिस्ट्री असल प्रदर्श-1, मतदाता सूची प्रदर्श-2 पेश की । ज्याना बाई का देहान्त हो चुका है। मुझे सोहनी व ज्याना दोनो नाम बोलते है। शपथ पत्र में ज्याना बाई की जगह जानकी बाई लिखा है। आधार कार्ड में भी जानकी बाई है। यह कहना सही है कि ज्याना बाई का देहान्त हुआ तब लंगूर जी जिन्दा थे। मैं ज्याना बाई की जगह पत्नि बनकर आई थी। लंगूर जी के नुत्फे से कोई संतान नही हुयी। क्योकि लंगूर जी बीमार थे। यह कहना गलत है कि बद्रीलाल को हमने गोद लिया व गोद लेने का कार्यक्रम किया हो। यह कहना गलत है कि लंगूर जी के देहान्त के पश्चात बद्रीलाल अव्यस्क था तथा मेरे पास रहता हो। इस कारण मेने जर्ये संरक्षक मेरे नाम इंतकाल खुलवाया हो। मैं हमारे जागा बलराम केयुन वाले को जानती हूँ। यह कहना गलत है कि हमारा जागा बलराम की फोती मे सम्वत् 2035 में बद्रीलाल को गोद रखने बाबत अंकन हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श-5 में सोहनी बाई बद्रीलाल की माता हो। प्रदर्श-डी1 से जो जमीन बेची वो जानकी बाई के नाम से बेची है सही है। यह कहना गलत है कि लंगूर जी के बीमार होने से आभास हो गया था कि अब हमारे संतान नही होगी इसलिये बद्रीलाल को गोद लिया हो। यह कहना गलत है कि हमने बद्रीलाल को गोद लिया हो ओर जमीन को दूसरो को देने के लिये झूठे बयान दिया हो। साक्ष्य प्रतिवादी में चाहन्या बाई, पृथ्वीराज व राजेन्द्र के बयान करवाये गये। चाहन्या बाई ने दोराने जिरह कहा कि मै वादी बद्रीलाल को जानती हूँ। बद्रीलाल लंगूर जी के साथ रहता था। यह कहना गलत है कि बद्रीलाल जी को लंगूर जी ने पढाया हो। यह बात सही है कि लंगूर जी ने बद्रीलाल की शादी की थी। यह कहना गलत है कि लंगूर जी ने घोषणा की हो कि बद्रीलाल गोद पुत्र हो। यह कहना गलत है कि बद्रीलाल की स्वाभाविक माता ने बद्रीलाल को लंगूर की गोद में रख दिया हो। यह मुझे जानकारी नही है कि वाद विषयक भूमि वाद विचारण दौरान बेचान की हो। यह कहना गलत है कि बद्रीलाल के पास लंगूर के खाते की जमीन हो। यह बात गलत है कि मै जानकी बाई की मिलने वाली हूँ इसलिये गलत बयान दे रही हूँ। गवाह प्रतिवादी पृथ्वीराज ने दौराने जिरह कहा कि जानकी बाई ने जो जमीन बेची उस रजिस्ट्री के समय मैं मोके पर उपस्थित नही था। मेने गॉव में सुना था की जमीन बेची है। यह बात गलत है कि बद्रीलाल जी को लंगूर जी ने पंचो के सामने 10-12 साल की उम्र में गोद लिया हो। यह कहना भी गलत है कि बद्रीलाल जी के जन्म पिता ने बद्रीलाल को लंगूर की गोद में रखा हो। यह बात सही है कि समाज इकट्ठा हुआ था। नारियल बंटे हो यह बात गलत है। यह कहना गलत है कि इसलिये इकट्टे हुये हो की बद्रीलाल को गोद लिया हो। लंगूर जी स्वयं खेती नही करते थे आधोली देते थे। यह कहना गलत है कि बद्रीलाल जी लंगूर जी की भूमि पर काश्त करता हो।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में दोहराते हुये निवेदन किया की लंगूर जी ने अपने जीवन काल मे अपने नुफ्ते से कोई संतान नही होने एवं टी.बी. की बीमारी होने से बद्रीलाल को समाज के सामने गोद लिया था। सोहनी बाई लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण जी की दूसरी पत्नि थी। पहली पत्नि ज्याना बाई थी जो बाल्यावस्था में ही फोत हो गयी थी। बद्रीलाल को जब गोद लिया गया था तब बद्रीलाल अव्यस्क था इस कारण लंगूर जी की मृत्यु के पश्चात बद्रीलाल का

म राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही करवाया गया। लंगूर जी एवं वादी मीणा जाति के सदस्य है। पुराना हिन्दु अधिनियम में मीणाओं में महिलाओं को भूमि बेचान/अन्तरण का अधिकार नही है। केवल भरण पोषण का अधिकार है, किन्तु सोहनी बाई ने भूमि को चाहन्या बाई को बेचान कर दिया जो नियम विरूद्ध बेचान हुआ है। सोहनी बाई उर्फ ज्याना बाई ने उक्त जमीन चाहन्या बाई को दौराने वाद बेचान की गयी है। वाद वर्णित आराजी के संबंध में दिनांक 03.05.1994 से रहन बेचान का स्थगन था किन्तु बावजूद स्थगन प्रतिवादी सोहनी ने भूमि का बेचान कर दिया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पारित निर्णय अनुसार गोद का तथ्य इसी न्यायालय से प्रमाणित होगा। वकील वादी द्वारा बहस के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की । हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नही 2025(1) S.C. DNJ -14, धारा 2(2) पेज नं. 758, Principal Of Hindu Law 4(1) Page No. 104, महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार ,भूमि बेचान/अन्तरण का अधिकार नही है, 1981 R.R.D. Page No.361, 2024(2)R.R.T. Page No. 1145, 2025(4) DNJ Page No. 1267, 2016(3) DNJ Page 1373 (नामान्तकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही इसमें हको का निर्धारण नही, हको का निर्धारण दावे में होगा), हक से अधिक का अन्तरण नही , 2016(4) DNJ Raj Page No. 1835, AIR 1995 Raj Page no. 94, दौराने वाद अन्तरण अवैध, AIR 2007(Raj) Page 73, गोद में लेना देना साक्ष्य से सिद्व, 1960 RLW Page 116, 1956 RLW Page 420 पेश की ।

वकील प्रतिवादी ने दोराने बहस निवेदन किया की वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित प्रार्थना के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किये। वादी का यह कथन दुसरी पत्नि के समय गोद लिया गया था। किन्तु सोहनी स्वयं ने गोद लेने के लिये अपने बयानों में मना कर दिया। वादी द्वारा सोहनी के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण के विरूद्ध की गयी अपील दिनांक 21.01.1993 को निर्णय कर खारिज की जा चुकी है। रजिस्ट्रर्ड बेचान को सिविल कोट के माध्यम से खारिज करवाया जा सकता है। वादी के द्वारा गोद के संबंध में कोई लिखा पढी पेश नही की। गवाह पीडब्ल्यू 2, व पीडब्ल्यू 3 में गोद की तिथि अथवा स्पष्ट हवाला नही दिया गया है। जागा ने भी गोद बाबत दो तिथियां जेठ सुदी आठ व बसन्त पंचमी बताई एवं लिखित बहस पेश कर कहा कि वादी की शहादत गोद पुत्र होने बाबत नही है गिविंग टेकिंग की रस्में बाबत कोई शहादत नही है तथा वादी के बयान की जिरह में उसने गोद किस दिन कब लिया यह अंकित नही है तथा गोद का कागज लिखाया नोटरी से अदालत में तस्दीक हुआ था परन्तु वह गोदनामा न्यायालय में पेश नही हुआ है।वादी द्वारा एक राशनकार्ड में सोहनी को काकी बताया गया है तथा दुसरे राशन कार्ड में पिता के नाम के स्थान पर कटिंग हो रही है इसके अतिरिक्त वादी के पिता का नाम वोटर लिस्ट में धन्नालाल अंकित है आधार कार्ड में भी पिता का नाम धन्नालाल अंकित है। सोहनी बाई उर्फ जानकी बाई के नाम जो इंतकाल 698 दिनांक 06.07.92 को खुला उसकी अपील वादी द्वारा की गई जो माननीय जिला कलेक्टर बून्दी के न्यायालय द्वारा दि0 21.01.1993 को खारिज कर दी गई है।वादी द्वारा अपने बयान में यह भी कहा है कि स्कूल के रेकार्ड में भी उसके पिता का नाम धन्नालाल अंकित है। वादी द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 4 में गोद के तथ्यो मे गोद बाबत जन्म माता पिता द्वारा वादी को अपनी गोद में लेकर लंगूर व सोहनीबाई उर्फ जानकी बाई को गोद मे देने के तथ्य अंकित नही है इस विषय पिलीडींग के खिलाफ कोई साक्ष्य भी दी जाती है तो वह पठनीय नही है तथा उसे नही माना जा सकता है । इस संबंध में आरआईआर 1989(2) पेश की। प्रति. लंगूर के पिता हीरा जी थे जिनके दो लडके रतना व शंकर लाल हुए। रतना के गोबरी लाल लडका हुआ तथा शंकरलाल के छेदुलाल है जो वेसे भी परिवार का वशंज है परिवार के वंशज को गोद नही लेकर वादी को गोद लेने का कोई कारण ही नही था। इसलिए भी वादी को गोद लेने के तथ्य प्रमाणित नही है। वादी के बयान से गोद पुत्र प्रमाणित नही होता है इसके अतिरिक्त वादी के गवाह पीडब्ल्यू 2 गोद का दस्तुर लंगूर के मरने के बाद घर पर होना जिरह में कहता है इसलिए लंगूर के जीवन काल में गोद लेने का तथ्य असत्य प्रमाणित होता है। पीडब्ल्यू 2 जिरह में लंगूर व धन्नालाल को सगे भाई नही होना कहता है। गवाह पीडब्ल्यू 3 बसन्त पंचमी के दिन गोद का दस्तुर होना कहता है जबकि गवाह बलराम जागा पीडब्ल्यू 5 जेठ सुदी 8 को गोद का दस्तुर होना कहता है। बसन्त पंचमी माह फरवरी तथा जेठ का महिना जून में आता है इस प्रकार दोनो गवाह गोद के दस्तुर के सम्बन्ध में विरोधाभाषी बयान दे रहे है। गवाह पीडब्ल्यू 5 तो लंगूर व धन्नालाल को सगे भाई होना कहता है जबकि वादी स्वयं व अन्य गवाह लंगूर व धन्नालाल को सगे भाई होना नही कहते। पीडब्ल्यू 5 गवाह बलराम जागा की पोथी मे उसके पिता के हाथ की लिखावट बद्रीलाल के गोद की होना नही कहता बल्कि जागा की पोथी में गोद की लिखावट वादी के फूफा द्वारा लिखना कहता है इस प्रकार जागा के पुत्र बलराम के स्वंय के बयान अन्य वादी के गवाहान के विरोधाभाषी है जिन्हे विश्वास नही किया जा सकता है। गवाह पीडब्ल्यू 4 भी लंगूर व धन्नालाल का सगे भाई होना नही कहता। वादी का गवाह पीडब्ल्यू 4 सोहन लाल गोद का कागज लिखने से इंकार करता है

बकि वादी स्वयं गोद का कागज लिखना व नोटरी से तस्दीक होना कहता है इस प्रकार पीडब्ल्यू 4 के बयान मे भी वादी का लंगूर का गोद पुत्र होना साबित नही है। गोद की सीरिमा एण्ड टैकिंग की रस्मो बाबत वादी का कोई गवाह नही कहता। इसलिए भी वादी लंगूर का गोद पुत्र होना प्रमाणित नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी सरकारी दस्तावेज वोटर लिस्ट आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम लंगूर नही है अपितु धन्नालाल अंकित है। समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादी लंगूर का गोदपुत्र होना साबित नही है। इसके विपरित सोहनी बाई उर्फ जानकी बाई स्वयं ने वादी को गोद लेने से शपथ रूप से बयान देकर वादी को गोद लेने से इनकार किया है तथा बाहन्या पत्नि छोटूलाल ने भी वादी को लंगूर व सोहनी बाई द्वारा गोद लेने से इंकार किया है। अतः वादी लंगूर का गोद पुत्र नही होने से भी वादी का वाद खारिज होने योग्य है। दौराने बहस निवेदन किया की दावे से पहले का बेनाम केवल सिविल कोट द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2005(2) पेज 1530 माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट, आरआरडी 1993 पेज 505 माननीय न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड व आरएलडब्ल्यू 2018(3) पेज 2097 माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट पेश किये। गोद का प्रश्न केवल दिवानी न्यायालय द्वारा तय करके गोद पुत्र की घोषणा करने का कानूनी प्रावधान है इस संबंध में आरआरडी 2012 पेज 1492 पेश किया, टाईटल की घोषणा अचल सम्पति बाबत केवल दिवानी न्यायालय द्वारा ही तय की जा सकती है। न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2024 पेज नं0 25 पेश किये।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा तर्कों पर मनन किया गया।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है -

1. **आया परिशिष्ट "अ" में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार कृषक लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी तीरथ थे।**

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श-1 खाता सं0 131 वाके ग्राम तीरथ सम्वत् 2044-47 पेश की। जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में मु0 जानकी बाई बेवा लंगूर कौम मीणा साकिनदेह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे ऐसी कोई जमाबन्दी जिसमें लंगूर का नाम दर्ज रिकार्ड हो पेश नही की। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

2. **आया ज्याना बाई की मृत्यु के पश्चात लंगूर जी ने प्रतिवादीनी सोहनी से विवाह कर लिया था तथा लंगूर जी ने अपनी मृत्यु से 4 साल पूर्व जाति के रिवाज के अनुसार वादी को गोद ले लिया था। तभी से वह बहेसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है।**

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संम्वत् 2044-47 खाता सं0 131 वाके ग्राम तीरथ प्रदर्श-1, परिवार राशन कार्ड बद्रीलाल प्रदर्श-2, परिवार कार्ड के लिये आवेदन फार्म-अ प्रदर्श-3, परिवार राशन कार्ड सं0 668 प्रदर्श-4, परिवार कार्ड प्रदर्श-5 पेश किये एवं गवाह बद्रीलाल स्वयं वादी, लक्ष्मीनारायण, सोहनलाल, भंवरलाल, हजारी लाल व बलराम जागा के पेश किये गये। उक्त प्रस्तुत दस्तावेज एवं बयान गवाहान में वादी के गोद लिये जाने बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है ना ही बयानों में गोद लिये जाने बाबत मत सभी गवाहान का समान है। चुंकि गोद के संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में लंगूर जी की मृत्यु से पूर्व एवं मृत्यु के पश्चात बद्रीलाल के पिता का नाम धन्नालाल ही अंकित है। स्वयं वादी ने अपने बयान जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा पिता का नाम धन्नालाल ही लिखा हुआ हैं। मतदाता सूची एवं आधार कार्ड में अभी भी पिता का नाम धन्नालाल ही लिखा हुआ है। इसके विपरित लंगूर जी की पत्नि जानकी बाई उर्फ सोहनी बाई ने स्वीकार किया है कि मेरे पति लंगूर जी द्वारा गोद पुत्र के रूप में बद्रीलाल को कभी गोद नही लिया, ना ही कोई गोद नामा लिखवाया गया। प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य गवाहान से वादी बद्रीलाल को लंगूर जी का गोद पुत्र माना जाना प्रमाणित नही है, ना ही बद्रीलाल द्वारा लंगूर जी के गोद पुत्र होने के संबंध में कोई विधिक घोषणा का दस्तावेज पेश किया है। ना ही ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज जो वादी का कब्जा काश्त प्रमाणित करता हो, पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य गवाहान के आधार पर यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

3. **आया वादी के अवयस्क होने के फलस्वरूप सोहनी बाई ने ही ज्याना बाई के नाम से वादी के संरक्षक के नाते अपना नाम खाते में अंकित करवा लिया।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्य कि " वादी के अवयस्क होने के फलस्वरूप सोहनी बाई ने ही ज्वाला बाई के नाम से वादी के संरक्षक के नाते अपना नाम खाते में अंकित करवा लिया" के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, प्रथम दृष्टया तो वादी लंगूर जी के गोद पुत्र होने के संबंध में ही दस्तावेज पेश करने में असफल रहा है। साथ ही दस्तावेज के अभाव में फर्जी नामान्तकरण कब खुला एवं नामान्तकरण खोलने हेतु वादी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं किया। स्वयं वादी द्वारा अपने वाद पत्र एवं दौराने साक्ष्य स्वीकार किया है कि ज्वाला बाई लंगूर जी की प्रथम पत्नि थी एवं ज्वाला बाई की मृत्यु के पश्चात लंगूर जी ने सोहनी बाई उर्फ जानकी बाई से विवाह किया था व लंगूर जी के कोई संतान नहीं थी। उक्त तथ्य के आधार पर लंगूर जी की पत्नि लंगूर जी सम्पति की विधिक वारिस प्रमाणित है। दौराने बहस अवगत कराया की बद्रीलाल द्वारा की गयी दर्ज फर्जी नामान्तकरण अपील 1192/ दिनांक 06.07.1992 भी 21.01.1993 को निर्णय कर खारिज कर दी गयी। यदि वादी बद्रीलाल उक्त निर्णय से खफा था तो वादी ने उक्त अपील की एक अपील क्यो नहीं की यह तथ्य वादी ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश करने के दौरान अवगत नहीं कराये। सोहनी बाई उर्फ जानकी बाई लंगूर जी विवाहिता पत्नि होने से लंगूर जी की विधिक उत्तराधिकारी थी। जो लंगूर जी की चल/अचल सम्पति पर विधिक अधिकार रखती थी। इसलिये लंगूर जी के देहान्त के बाद लंगूर जी की खातेदारी भूमि पर सोहनी बाई उर्फ जानकी बाई का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त सभी तथ्यो, राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेज वादी के विरूद्ध प्रमाणित होने से यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित है।

4. **आया प्रतिवादी सोहनी विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 2,3,4 को बेचान कर रही है। फलस्वरूप वादी उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से वाद वर्णित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहा है वरन राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रतिवादी सोहनी बाई प्रदर्श 1 अनुसार वाद वर्णित आराजी की रिकार्डेड खातेदार प्रमाणित है एवं वादी बद्रीलाल स्वयं को गोद पुत्र घोषित करवाने बाबत कोई दस्तावेज/तथ्य पेश करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

5. **आया प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी की एक मात्र खातेदार तथा काबिज काश्त है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी के अवलोकन से प्रमाणित है कि जानकी बाई वाद वर्णित आराजी की रिकार्डेड खातेदार थी। प्रतिवादी 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1992 से भी वाद वर्णित आराजी की रिकार्डेड खातेदार जानकी बाई विधवा श्री लंगूर प्रमाणित है। प्रस्तुत साक्ष्य प्रतिवादी जानकी बाई , चाहन्या बाई, पृथ्वीराज, राजेन्द्र के बयान एवं जिरह से वाद वर्णित आराजी पर प्रथमतः जानकी बाई का एवं उसके पश्चात क्रेतागण का कब्जा प्रमाणित होता है। वाद वर्णित आराजी पर वादी का कब्जा नही था यदि वादी का वाद वर्णित आराजी पर कब्जा होता तो जानकी बाई द्वारा चाहन्या बाई को भूमि विक्रय के पश्चात कब्जा देने के दौरान बद्रीलाल द्वारा विरोध अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य वादी द्वारा पेश नही किया गया है। जो वाद वर्णित आराजी पर प्रतिवादी 1 का कब्जा प्रमाणित करता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

6. **आया प्रतिवादी सं0 6 भू0 स्वामी का 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना अथवा स्वीकृति लिये बिना दावा वादी चलने योग्य नही है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के अन्य आक्षेप की चरण सं0 3 में आपत्ति की है। पत्रावली के अवलोकन पर वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते समय ना तो दस्तावेज के रूप में 80 सी.पी.सी. का नोटिस की प्रति पेश की, ना ही 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र अथवा शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो कि प्रकरण में विधिक त्रुटि है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

7. **आया वादी का वाद नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के नुक्स से चलने योग्य नही है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र के अन्य आक्षेप की चरण संख्या 4 में ग्यारसीलाल आ0 हरदेव को पक्षकार नही बनाने पर नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स होना बताया किन्तु पत्रावली के अवलोकन पर वाद प्रस्तुत करने के दौरान पेश जमाबन्दी

में जानकी बाई का ही नाम दर्ज था। ग्यारसीलाल आ0 हरदेव का नाम दर्ज रिकार्ड नही होने से ग्यारसीलाल को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही था। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रमाणित की जाती है।

8. **आया प्रतिवादीगण वादी से 500/- रू0 विशेष क्षतिपूर्ति पेटे प्राप्त करने के अधिकारी है।**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। विवादित भूमि के हस्तगत मामलों में दोनों ही पक्षों द्वारा चाराजोही की गई है एवं कानूनन कोई भी व्यक्ति दस्तावेजी आधार पर न्यायालय के समक्ष अपना हक अधिकार प्रस्तुत करने का स्वतंत्र अधिकार रखता है वादीगण द्वारा दस्तावेजी आधार पर उक्त वाद पेश किया गया, जिनकी प्रमाणिकता वाद में साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर प्रमाणित होती है वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश कर अपना पक्ष रखा है जो वादीगण का हक था। प्रतिवादीगण वादीगण से किस आधार पर विशेष हर्जा 500/- प्राप्त करने का अधिकारी है प्रमाणित करने में असफल रहा है।। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

9. **सहायता** – पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तनकीवार विवेचन एवं बहस उभयपक्ष पर मनन करने तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादी बद्रीलाल लंगूर जी के गोद पुत्र होने का एवं वाद वर्णित आराजी पर काबिज काश्त होने का दावा करता है किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं गवाह साक्ष्यो में वादी स्वयं को लंगूर जी द्वारा कब गोद लिया इस तथ्य को भी प्रमाणित करने में असफल रहा। वादी यदि लंगूर जी का गोद पुत्र था तो वादी ने अपने दस्तावेज यथा मतदाता सूची, आधार कार्ड इत्यादि में अपने मूल पिता धन्नालाल के स्थान पर लंगूर जी का नाम दर्ज रिकार्ड क्यो नही करवाया गया। वादी ने लंगूर जी के जीवनकाल के ऐसे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये जो वादी को लंगूर जी का गोद पुत्र प्रमाणित करते हो। वादी ने गोद के संबंध में गोदनामा भी प्रस्तुत नही किया जबकि वादी के कथनानुसार गोदनामा लिखाया जाकर नोटेरी करवाया गया था। यदि वादी को गोद लिया और दस्तावेज लिखवाये गये थे तो उक्त दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता किन्तु वादी द्वारा ऐसा नही किया गया। किसी भी व्यक्ति के गोदनामा पर आक्षेप लगाया जाता है तो गोदपुत्र प्रमाणित करने हेतु सिविल न्यायालय से डिक्री/घोषणा कराये जाने के पश्चात ही गोदपुत्र होना प्रमाणित माना जा सकता है। गोद के संबंध में वादी एवं वादी के गवाहो के बयानात एवं जिरह का अवलोकन करने पर गोद की तिथी एवं गोदनामा लिखे जाने बाबत कथन भी विरोधाभासी है। यहा यह भी विचारणीय है कि वाद वर्णित आराजी बाबत विक्रय का इकरार नामा दिनांक 22.02.1992 को निष्पादित करवाया, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 29.04.1992 को निष्पादित हुआ एवं वाद 23.04.1992 को दर्ज रजिस्टर हुआ। दिनांक 29.04.1992 को भूमि विक्रय होने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि सम्भलायी थी और यदि तत्समय भूमि पर वादी का कब्जा था और क्रेता द्वारा कब्जा संभाला तो वादी द्वारा ना तो विरोध किया गया ना ही कोई कानूनी कार्यवाही की गयी। वादी यदि गोद पुत्र था और दिनांक 21.01.1993 को वादी की अपील वास्ते नामान्तकरण खारिज हुयी तत्समय ही वादी ने गोद पुत्र बाबत घोषणा क्यो नही करवायी। यहा यह भी विचारणीय है कि जब वादी स्वंय को लंगूर का गोद पुत्र होना बताता है तो अपने पिता के रूप में लंगूर जी के स्थान पर अपने वास्तविक पिता का नाम क्यो दर्ज रिकार्ड रखा गया। अतः वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को वादी दस्तावेज एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0
श्री बदरीलाल आयु 24 वर्ष दत्तक पुत्र श्री लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील बून्दी, जिला बून्दी राज0

वादी

बनाम

1. श्रीमति सोहनी आयु 38 वर्ष विधवा लंगूर उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी।
2. श्रीमति चाहन्या पत्नि श्री छोटू जाति मीणा निवासी तीरथ तह0 व जिला बून्दी बहैसियत स्वयं एवं कायम मुकामान प्रतिवादी सं0 3
3. छोटू आयु 45 वर्ष आ0 श्री शंकर जी जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील व जिला बून्दी। के कायम मुकामान प्रतिवादी सं0 2 एवं प्रतिवादी सं0 4
   3/1. बनवारी आयु 34 वर्ष आ0 श्री छोटू जी जाति मीणा निवासी तीरथ तह0 तालेडा
4. सत्यनारायण आ0 श्री छेटूलाल जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील व जिला बून्दी राज0 बहैसियत स्वयं एवं कायम मुकामान प्रतिवादी सं0 3
5. सब रजिस्ट्रार महोदय तहसील तालेड़ा।
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब बून्दी।

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,89 व188 आर.टी.एक्ट

2/दावा/2009(74/92)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री रमेशचन्द जैन एडवोकेट मिनजानिब मुदई श्री रामदत्त शर्मा मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि अतः वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को वादी दस्तावेज एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

नीज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

मुदई		रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान				स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30 माह 03 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा